

05. राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संयोजित करने के लिए यदि संस्था या भवन या स्टाफ की सेवाओं को आवश्यकता होगी तो उन्हें उपलब्ध करना होगा ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अरुण

॥ एम. एन. कार्य ॥
म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

म. प्र. सं. एफ-73- 64 /20-3/2004
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 27-3-04

1. आयुक्त, लोक शिक्षण म. प्र. भोपाल
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला न हिंदवाड़ा
3. प्राचार्य अना. फस्ट स्टेज हायर सेकेंडरी स्कूल हिंदवाड़ा की और सुधार एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अधीष्ट है ।

M. S. Jy
अरुण 27/3/04
म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

PRINCIPAL
FIRST STAGE ANA. HIGH SCHOOL
SCHOOL, CHINDWADA

J
- सी. वि. -
मालाबा रघुवैर न जी गढ़ी
हिंदवाड़ा

Amendments V

मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल

वृत्तम भवन, भोपाल - 462004

प्रमाण-एफ-73-04 /20-3/2004
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27-3-2004

मुख्य,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा भण्डल,
प्रति बिहार - नई दिल्ली

विषय : अर्णतकीय फस्ट स्टेज हायर सेकेंडरी स्कूल, हिंदवाड़ा को सी. बी. एस. ई. /
अरु. सी. एस. ई. से सम्बद्धता हेतु एम. जी. सी. देने बाबत ।

राज्य शासन द्वारा अर्णतकीय फस्ट स्टेज हायर सेकेंडरी स्कूल हिंदवाड़ा
विना हिंदवाड़ा को सी. बी. एस. ई. / अरु. सी. एस. ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनुपलब्ध प्रमाण पत्र अर्णतकीय नियमनिका शर्तों पर दिया जाता है :-

- 01- संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी को स्थग्य को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा भण्डल के कर्मीयक परीक्षकों को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है ।
- 02- नीतिगत निर्णय में इन दोनों मनेनीत सदस्यों को आमंत्रित करना होगा ।
- 03- मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार - प्रसार के लिए लिये गये निर्णय में यदि संस्था से क्विन्ही कार्य की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्य की संस्था को करना होगा ।
- 04- केन्द्र गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है । परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इनके क्विन्ही खेप परितरा या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो उपलब्ध कराना होगा ।

क्रि नं. ... 2...

Arj